

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 1976/चैत्र 6, 1898

No. 152]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 1976/CHAITRA 6, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th March 1976

S.O. 240(E)/18E/IDRA/76.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 481(E)/18AA/IDRA/75 dated the 8th September, 1975, issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951) (hereinafter referred to as the said Order), as amended by Order No. S.O. 508(E)/18AA/IDRA/75 dated the 12th September, 1975, the Central Government have authorised Shri M. K. Modwel to takeover the management of the industrial undertaking known as M/s. Sen Raleigh Limited, Calcutta, (hereafter in this Order referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E, read with sub-section (5) of section 18AA, of the said Act, the Central Government specifies, in the schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies, Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said Order.

(689)

THE SCHEDULE

Provision of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the industrial undertaking.
1	2
Section 291 (1)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 293 (1) (d)	Provisions of this clause shall not apply to the said industrial undertaking.

[No. F. 2(53)/75-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1976

का० आ० 240(अ)/18ई/उ० वि० वि० अ०/76.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) की धारा 18 ए ए के अधीन केन्द्रीय सरकार उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा जारी किए गए आदेश संख्या का० आ० 48/(ई)/18 ए ए/उ० वि० वि० अ०/75 दिनांक 8 सितम्बर, 1975 जिसमें आदेश संख्या का० आ० 508 (ई)/18 ए ए/उ० वि० वि० अ०/75 दिनांक 12 सितम्बर, 1975 द्वारा संशोधन किया गया है, केन्द्रीय सरकार ने श्री एम० के० माडवेल को मेसर्स सेन रेल लिमिटेड, कलकत्ता (इसके बाद इस आदेश में जिसे उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 ए ए की उपधारा (5) के साथ पठते हुए उक्त अधिनियम की धारा 18 ई उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम पर उसी रीति से लागू होगा जैसे यह उक्त आदेश के जारी करने से पूर्व उस पर लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 का उपबन्ध	अपवाद, निर्बन्धन और सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में उल्लिखित उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम पर लागू होंगे।
-------------------------------	--

1	2
धारा 291 (1)	इस उपधारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू नहीं होंगे।
धारा 293 (1) (घ)	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू नहीं होंगे।

[फा० नं० 2/53/75-सी यू सी]।

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव